खसरा नंबर 371 एवं उसके सालम नम्बर की तरमीम DIRLMP के तहत हुई है जो कि मौके के अनुसार नहीं है। यदि मौका अनुसार तरमीम शुद्ध होती है तो जनसाधारण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 371, 371/1, 371/2, 371/3, 371/5, 371/6, 371/7 को राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिया गया। तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.2025 के अनुसार मौका स्थिति एवं ऑनलाईन नक्शे की स्थिति में भिन्नता है।

अतः सरहद मौजा- बांजाकुड़ी पटवार हल्का- बांजाकुड़ी के खसरान् संख्या 371, 371/1, 371/2, 371/3, 371/5, 371/6, 371/7 की राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए नये सिरे से मौका स्थिति अनुसार तरमीम करवाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम- बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में स्थित आराजी खसरान् नम्बर 371, 371/1, 371/2, 371/3, 371/5, 371/6, 371/7 की राजस्व भू नक्शा ट्रैस में विद्यमान त्रुटिपुर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए पुनः नये सिरे से भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण एवं पटवारी बांजाकुड़ी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.2025 की मौका स्थिति अनुसार तरमीम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी, मौके स्थिति एवं भू नक्शे मौके अनुसार तरमीम की जावें। प्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण

निर्णय आज दिनॉक **06/05/2025** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)